फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई   मुकाम अराई (अजमेर)

...दान पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.

—प्रार्थी

बनाम

• कमला पुत्री नोरत जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।

—अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 251(क) राज.का. अधि. 1955

नंबर 69/2023

ऑनलाइन नंबर 2023/139....

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04.09.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.10.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
5-10-23.	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के तामीलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 19-10-2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
13/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी 04 की ओर से वकील श्री [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया जाकर [illegible] किया। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 08/11/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

तारीख नम्बर जो इस हुक्म ... तामील में जारी ...

...1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

28/2/25 पत्रावली पेश हुई आज बार रिजोल्यूशन की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/4/25 को पेश हो।

5/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हो।

2/5/25 पत्रावली पेश हुई आज बार रिजोल्यूशन की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/25 को पेश हो।

30/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/8/25 को पेश हो।

1/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। तहसीलदार अराई से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 6/8/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार अराई की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। गमाणी प्रार्थी के पास आवेदित भूमि में से रास्ते हेतु पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता होने के कारण वाद का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मु0नं0 /

1.सोदान पुत्र श्री गंगाराम, जाति जाट, उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम अराई, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

1. कमला पुत्री नोरत, जाति जाट, निवासी ग्राम अराई, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान
2. छीतर पुत्र हरकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. भूरी पुत्री नोरत जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान
4. रघुनाथ पुत्र नोरत, जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. रामेश्वर पुत्र हरकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. रामेश्वरी पुत्री नोरत जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. रिद्धकरण पुत्र बालू जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
8. श्रवणी पुत्री नोरत जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. सम्पत पुत्री नोरत, जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान
10 सुवा पत्नि हरकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
11 ग्राम पंचायत अराई, जरिये सरपंच
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 22/8/18

उपस्थितः वकील प्रार्थी योगेश शर्मा, एडवोकेट — वकील अप्रार्थी विजेन्द्रसिंह एडवोकेट

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री योगेश शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 1402 नया 1352 के खसरा संख्या 1971 क्षेत्रफल 1.8688 हैक्टेयर (किस्म बंजर–1 (1.2054), बंजर–2 (0.3560) एवं बारानी–1 (0. 3074) जो वाके ग्राम अराई, पटवार क्षेत्र अरांई, भू.अ.नि.क्षे. अराई, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है।प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के आगे दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3642/1971 क्षेत्रफल 1.8688 हैक्टेयर स्थित है, तथा उक्त खसरा संख्या 3642/1971 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 1970 की भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 11 ग्राम पंचायत अरांई के नाम दर्ज है, उक्त कृषि भूमि के पश्चात् खसरा संख्या

2052 किस्म गै.मु.रास्ता है।प्रार्थी की कृषि भूमि के कृषि के प्रयोजन एवं कृषि भूमि के विकास के लिये एवं कृषि भूमि पर जाने के लिये किसी प्रकार का कोई मार्ग / रास्ता नहीं है।प्रार्थी अपनी भूमि में कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये के लिये खसरा संख्या 2052 किस्म गै मु. रास्ता से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 11 की कृषि भूमि 1970 एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3642/1971 की भूमि से अथवा लगती हुई सींव/मेड से भूमि का उपयोग करता है।प्रार्थी कृषि भूमि के जोत सिंचाई के प्रयोजन के लिये सबसे करीब रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की भूमि के खसरा संख्या 1970 एवं 3642/1971 की भूमि से होकर जाता है प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि से होकर नया मार्ग बनाना चाहता हैं, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थी की कृषि कार्य का उद्देश्य भी पूर्ण हो जायेगा, इस हेतु प्रार्थी अप्रार्थीगण को नियमानुसार राशि अदा करने को भी तैयार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग हेतु अप्रार्थी की भूमि में से 20 फिट के रास्ते की आवश्यकता है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी नियअ`मानुसार राशि जमा करवाने के लिये तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी को अपने कृषि भूमि में स्थित जोतो के उपयोग उपभोग, कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की कृषि भूमि में से अधिकतम सीमा तक हेतु निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 5.10.2023 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 5.8.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि ग्राम अराई के खसरा नं0 1971 में आवागमन हेतु ख0नं0 3642/1971, 1970 के अलावा और कोई वैकल्पिक मार्ग खसरा नं0 2003 गे0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । जो 3-4 किलोमीटर दूरी से होकर उक्त खसरा नं0 1971 तक पहुचंता है । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है । प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री विजेन्द्रसिह ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा नं0 1971 में ग्राम अराई से रास्ता कृषि भूमि में जाता है खसरा नं0 1920 व 2003 से अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है उक्त रास्ते का राजस्व ट्रेस में इन्द्राज है रास्ता मौजूद होते हुए नया रास्ता प्राप्त नही कर सकता है ।हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:-

:: आदेश ::

3. प्रार्थी की **कृषि भूमि** ग्राम अराई के खसरा नं0 1971 में आवागमन हेतु ख0नं0 3642/1971, 1970 के अलावा और कोई वैकल्पिक मार्ग खसरा नं0 2003 गे0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से होना स्पष्ट होता है अतः हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार अराई की मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया । अतः यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा नं0 1971 में ग्राम अराई से रास्ता कृषि भूमि में जाता है खसरा नं0 1920 व 2003 से अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है उक्त रास्ते का राजस्व ट्रेस में इन्द्राज है अतः प्रार्थी के पास वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए नया रास्ता प्राप्त नही कर सकता है ।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)